

बिहार कर्मचारी चयन आयोग

पो0-वेटनरी कॉलेज, पटना-14

खान एवं भूतत्व विभाग के अन्तर्गत खान निरीक्षक (अराजपत्रित) के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन संख्या-01/2021, खान एवं भूतत्व विभाग के अन्तर्गत खान निरीक्षक (अराजपत्रित) के निम्नांकित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाईन आवेदन आयोग के वेबसाइट <http://bssc.bih.nic.in> पर आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन भरने की विस्तृत जानकारी आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन तिथि-20.09.2021 से 20.10.2021 तक।

ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि-22.10.2021

कुल रिक्तियाँ:- 100 (एक सौ)

क्र०सं०	कोटि	कुल पद	कुल पदों में से महिलाओं के लिए (35%) आरक्षण के अन्तर्गत अनुमान्य रिक्तियाँ
01	अनारक्षित	41	14
02	पिछड़ा वर्ग	11	03
03	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	19	07
04	अनुसूचित जाति	15	06
05	अनुसूचित जनजाति	01	01
06	पिछड़ा वर्ग की महिला	03	00
07	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10	03
योग		100	34

नोट:-

1. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-13062, दिनांक-12.10.2017 के आलोक में क्षैतिज आरक्षण के तहत 04 (चार) पद जिनमें दृष्टिबाधित दिव्यांग उम्मीदवारों को 01 (एक) पद, मूक-बधिर दिव्यांग उम्मीदवारों को 01 (एक) पद, अस्थि विकलांग उम्मीदवारों को 01 (एक) पद एवं मनोविकार दिव्यांग उम्मीदवारों को 01 (एक) पद अनुमान्य होगा। चयनित दिव्यांग उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, उनकी गिनती संगत आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जाएगी।
2. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-2526, दिनांक-18.02.2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को 02 (दो) पद क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य होगा। चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, उनकी गिनती संगत आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जाएगी।

➤ वेतनमान- पी0बी0-2, 9300-34800, ग्रेड पे0- 4200 (अपुनरीक्षित)
पुनरीक्षित-लेवल-6

➤ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:- (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यताप्राप्त संस्थान से खान एवं खान सर्वेक्षण में डिप्लोमा अथवा
(ख) किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भूगर्भ विज्ञान में स्नातक।

नोट:- (i) अभ्यर्थी जिस संस्थान का डिप्लोमा प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे उस संस्थान का **AICTE** से मान्यताप्राप्त होने से संबंधित साक्ष्य संलग्न करना अनिवार्य है।

(ii) निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से इतर योग्यताधारी अभ्यर्थियों के अभ्यर्थित्व पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

➤ **न्यूनतम अर्हता हेतु निर्धारित तिथि:-** आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि।

उम्र सीमा:- दिनांक-01.08.2019 के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प संख्या-294, दिनांक-07.01.2016 के अनुसार उम्र सीमा निम्नवत होगी।

1. न्यूनतम आयु सीमा -21 (इक्कीस) वर्ष।
2. अधिकतम आयु सीमा -
 - (i) अनारक्षित वर्ग (पुरुष) -37 वर्ष।
 - (ii) अनारक्षित वर्ग (महिला) -40 वर्ष।
 - (iii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष/महिला) -40 वर्ष।
 - (iv) अनुजाति/अनुजनजाति (पुरुष/महिला) -42 वर्ष।
3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक-16.07.2007 के आलोक में सरकारी सेवकों को जो 03 (तीन) वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है। साथ ही, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक-62, दिनांक-05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षों की छूट अनुमान्य है।
4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-2447, दिनांक-06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्षों तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 (तिरपन) वर्ष से अधिक नहीं हो।

चयन की प्रक्रिया:-

सुयोग्य उम्मीदवारों का चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर "बिहार खान एवं भूतत्व निरीक्षक सेवा नियमावली, 2009 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-11 के अनुसार निम्नरूपेण किया जाएगा:-

क्र०सं०	पत्र	विवरण	कुल अंक	समय
1	प्रथम	सामान्य अध्ययन	100	03 घंटे
2	द्वितीय	खनन एवं खान सर्वेक्षण अथवा भूतत्व	100	03 घंटे
3	तृतीय	भारत के खनन विधान तथा नीतियाँ	100	03 घंटे

उपरोक्त तीनों पत्रों की परीक्षा अलग-अलग पालियों में आयोजित होगी। प्रत्येक पाली की अवधि 03 (तीन) घंटे की होगी।

परीक्षा की प्रकृति:- वस्तुनिष्ठ।

बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली-2010 के आलोक में 40 (चालीस) हजार से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की

होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से उपलब्ध रिक्तियों के 05 (पाँच) गुणा संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा।

परीक्षा हेतु निर्धारित विषय का पाठ्यक्रम शीघ्र ही आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा।

क्वालीफाइंग मार्क्स:-

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-2374, दिनांक-16.06.2007 के आलोक में लिखित परीक्षा के प्रत्येक पत्र में अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जो निम्नांकित है:-

सामान्य वर्ग	-	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	-	36.5 प्रतिशत
अ0पि0 वर्ग	-	34 प्रतिशत
अनु0जाति/जनजाति	-	32 प्रतिशत
महिला (सभी वर्ग)	-	32 प्रतिशत
दिव्यांग (सभी वर्ग)	-	32 प्रतिशत

2. प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाने की स्थिति में उपरोक्त कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक लागू होगी।

परीक्षा शुल्क:-

(क) सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी	-750 रुपये।
(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए)	-200 रुपये।
(ग) बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	-750 रुपये।
(घ) सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए (अनु0 जाति/जनजाति के समान)	-200 रुपये।
(ङ) सभी श्रेणी की महिलायें (सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए)	-200 रुपये।

परीक्षा शुल्क जमा करते समय परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क (Processing Charge) एवं सेवा कर (Service Tax) अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जायेगा, यथा ऑनलाइन (Credit Card / Debit Card / Net Banking आदि से) जमा किये जाने पर संबंधित बैंक के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया शुल्क (Processing Charge) एवं सेवा कर (Service Tax) अलग से देय होगा।

ऑनलाइन (Online) रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात् परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेन्ट गेटवे (Online Payment Gateway) के माध्यम से दिनांक-20.09.2021 से 21.10.2021 तक जमा किया जा सकेगा। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करने से संबंधित प्रमाण पत्र (पावती रसीद) अपने पास सुरक्षित रखेंगे एवं आयोग द्वारा माँगे जाने पर समर्पित करेंगे।

परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किये जायेंगे, साथ ही साथ अहस्तांतरणीय होंगे।

आरक्षण:-

(i) ऑनलाईन आवेदन करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा एवं उन्हें सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी में रखा जायेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 70, दिनांक-11.06.1996 एवं बिहार अधिनियम 15/2003 (मूल) के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूलवासी को ही देय है। अतः किसी भी प्रकार के आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होने संबंधी अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग के समय समर्पित करना होगा।

(ii) पिछड़ा वर्ग तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र, जिसमें जाति एवं आवासीय पता का उल्लेख हो, मान्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अंचलाधिकारी

द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा। ऑनलाईन आवेदन के समय यह प्रमाण-पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु काउन्सिलिंग के समय पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित श्रेणी के माने जायेंगे तथा उन्हें आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। अभ्यर्थी आवेदन-पत्र भरते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि वे जिस आरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत आते हों उसी आरक्षण श्रेणी का दावा करेंगे। ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें पिछड़ा वर्ग/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कोटि के आरक्षण का लाभ लेना है, उन्हें काउंसिलिंग के समय विज्ञापन प्रकाशन की तिथि या इससे एक वर्ष पूर्व तक का निर्गत क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पुराने प्रमाण पत्र की स्थिति में विहित प्रपत्र-xviii (B) में स्वघोषणा समर्पित करना होगा।

(iii) आरक्षित कोटि (एस0सी0/एस0टी0/एम0बी0सी0/बी0सी0) के महिला अभ्यर्थी का जाति/क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए।

(iv) ऑनलाईन आवेदन पत्र में दावा किये गये आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।

(v) परीक्षा के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे, वही मान्य होगा। यदि आरक्षण श्रेणी में परीक्षा प्रक्रिया की अवधि में कोई परिवर्तन होता है, तो वह मान्य नहीं होगा।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापांक-13062, दिनांक-12.10.2017 के प्रावधान के आलोक में दिव्यांगों को 4 प्रतिशत (1% दृष्टि दिव्यांगता, 1% मूकबधिर दिव्यांगता, 1% चलन्त दिव्यांगता एवं 1% मनोविकार दिव्यांगता) क्षैतिज आरक्षण देय है। यदि कोई रिक्ति किसी उपर्युक्त निःशक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता के कारण या किन्हीं अन्य पर्याप्त कारण से भरा नहीं जायेगा, तो ऐसी रिक्ति नियमानुसार अगली नियुक्ति में अग्रणित की जायेगी।

(vii) दिव्यांगता संबंधी आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग के समय सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-13062, दिनांक-12.10.2017 में संलग्न विहित प्रपत्र (अनुबन्ध-1) में दिव्यांगता प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।

(viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापांक-11/आ0नी0-1-10/2015 सा0प्र0-13185, दिनांक-03.09.2015 के अनुसार बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाना है, अर्थात् चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, उनकी गिनती उसी आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी।

(ix) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापांक-11/आ0नी0-1-10/2015 सा0प्र0-13185, दिनांक-03.09.2015 के आलोक में आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग के समय अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने से संबंधित प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।

(x) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-2342, दिनांक-15.02.2016 के अनुसार बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

(xi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं0- 2622, दिनांक- 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देय है। इस कोटि के अंतर्गत आरक्षण का दावा

करने वाले अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग के समय उक्त अधिसूचना में संलग्न विहित प्रपत्र (अनुसूची-1) में प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।

अन्य:- (i) किसी उम्मीदवार को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा और यह अंतिम होगा। वैसे ही उम्मीदवार परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे, जिन्हें एतदर्थ आयोग द्वारा बुलावा पत्र (Call letter) निर्गत किया जायेगा। बुलावा-पत्र निर्गत होने मात्र से अर्हता की सम्पुष्टि नहीं मानी जायेगी। किसी उम्मीदवार के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता/अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(ii) किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने अथवा चयन की प्रक्रिया को किसी प्रकार का अनुचित तरीका अपनाकर प्रभावित करने का प्रयास करने पर अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा।

(iii) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् Submit करने से पूर्व उसकी सभी प्रविष्टियों को ध्यानपूर्वक देखकर यह सुनिश्चित कर लें कि सभी प्रविष्टियाँ ठीक से भरी गई है। ऑनलाईन आवेदन समर्पित कर देने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार की त्रुटि का परिमार्जन नहीं किया जा सकेगा।

(iv) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर को स्कैन कर अपलोड करेंगे तथा पूरी परीक्षा प्रक्रिया में इसी प्रकार के हस्ताक्षर का उपयोग करेंगे।

(v) आवेदन में अपना रंगीन फोटो (जो तीन माह से अधिक पुराना न हो) ही अपलोड करेंगे। किसी भी परिस्थिति में पुराना फोटो अपलोड नहीं करेंगे।

(vi) अभ्यर्थी आवेदन-पत्र को Submit करने के पूर्व Preview देखकर संतुष्ट हो लेंगे, एवं यदि कोई सुधार आवश्यक हो, तो Edit option में आवश्यक सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन-पत्र को Submit करेंगे।

(vii) एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाईन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। वैसे अभ्यर्थी जो फर्जी नाम एवं पता के आधार पर आवेदन पत्र भरेंगे, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

(viii) आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वे विज्ञापन की शर्तों के आलोक में निर्धारित आयु, शैक्षणिक योग्यता आदि सभी पात्रता को पूर्ण करते हैं।

(ix) अभ्यर्थी मैट्रिक परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन पत्र में अपनी जन्मतिथि का सही-सही उल्लेख करेंगे। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता/पति का नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता आदि सभी सूचनाएँ बिल्कुल सही-सही भरें। प्रमाण पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पायी जाती है, तो आवेदक/आवेदिका की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

(x) वैध एवं सक्रिय मोबाईल नम्बर तथा ई-मेल आईडी दर्ज करना अनिवार्य है क्योंकि भविष्य में भावी संवाद के लिए इसे इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप गलत या अवैध मोबाईल नम्बर दर्ज करते हैं, तो भविष्य में महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त करने से वंचित हो जायेंगे।

(xi) भविष्य में पत्राचार/जानकारी प्राप्त करने के लिए Application Form Number /Registration Number/Roll Number होना आवश्यक है। अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र (फोटो सहित) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। किसी भी परिस्थिति में डूप्लीकेट/द्वितीयक रजिस्ट्रेशन नम्बर/एप्लिकेशन फार्म नम्बर/प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किये जायेंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश:-

कदाचार करने/गलत आचरण अपनाने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द किये जाने के साथ-साथ भविष्य में आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है तथा

ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई भी की जा सकती है। कदाचार/गलत आचरण के अन्तर्गत निम्न बिन्दु शामिल हैं:-

- परीक्षा केन्द्र में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, एनालॉग/डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या अन्य किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पाए जाने पर।
- कदाचार में सम्मिलित रहने पर।
- परीक्षा कक्ष में नकल/अवैध तरीका इस्तेमाल करने पर।
- पररूपधारण (Impersonation) करने पर।
- परीक्षा केन्द्र में केन्द्राधीक्षक/वीक्षक/प्रेक्षक से दुर्व्यवहार करने पर।
- परीक्षा केन्द्र से प्रश्न पुस्तिका/ओ0एम0आर0/उत्तर पुस्तिका बिना अनुमति के लेकर चले जाने या किसी अनधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराने पर।
- परीक्षा कार्य में संलग्न पदाधिकारियों/कर्मियों को धमकाने या शारीरिक रूप से क्षति पहुँचाने पर।
- अनुक्रमांक सही तरह से नहीं भरने या गोले को नहीं रंगने पर।
- प्रश्न पुस्तिका संख्या सही तरह से नहीं भरने या गोले को नहीं रंगने पर।
- निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर नहीं करने पर।
- परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु निर्धारित स्थान पर ही बैठ कर परीक्षा देनी होगी अन्यत्र बैठकर परीक्षा देने पर अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त पूरी परीक्षा प्रक्रिया के दौरान कोई भी अन्य कारण जिसे आयोग द्वारा उम्मीदवारी रद्द करने योग्य समझा जाता है, ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

नोट:- उम्मीदवारों की अर्हता, आवेदन पत्रों को स्वीकार/अस्वीकार करने, चयन की प्रक्रिया, परीक्षा के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों का आवंटन/निर्धारण, परीक्षाफल तैयार करने की प्रक्रिया एवं सफल उम्मीदवारों के पदों/संवर्ग के लिए चयन एवं आवंटन के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा, जो सभी अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी/मान्य होगा तथा इनके संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/पत्राचार के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा।

घोषणा:-

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन तथा निर्देशों को भली-भाँति पढ़ लिया है। जब भी आयोग मेरे द्वारा दिये गये विवरण की पुष्टिकरण माँगेगा, मैं निदेशानुसार आवश्यक सभी संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करूँगा/करूँगी। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने कोई अतिरिक्त ड्रूप्लीकेट आवेदन या समान विवरण का आवेदन नहीं भरा है। मैं यह भी जानता/जानती हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गयी जानकारी सही साबित नहीं हुई, तो मेरा आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा और कानून के अनुसार मुझे परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

अंतिम तिथि:- ऑनलाईन आवेदन जमा करने की तिथि दिनांक-20.09.2021 से 22.10.2021 की रात्रि 11:59 बजे (Server Time) तक निर्धारित है। अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति को बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।


20/9/21
सचिव

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।